न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–48, 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–172/2020

1.गुरमीतसिह, 2.दर्शनसिह } पि0 जोगेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी मसरूवाला हाल चक 1 एसआर डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1.नरोतमसिह, 2.जगदीश } पि0 दीदारसिह जाति कंम्बोज सिख निवासी 1 एसआर डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी
श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 08.01.2021

वादीगण गुरमीतसिह आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत विनिमय एंव घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण के नाम से चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 208/48 के प0न0 224/264 मु0 28 किलानं0 15/.089, 16/1/.228, 16/2/.025 हे0 खाला, 25/3/.114, 25/4/.012 है0 खाला तथा चक 1 एस आर डबल्यू के खाता सं. 98/90 में प0न0 225/265 मु0 4 किलानं0 14/1/.139, 17,2,25, तथा चकनं0 12 सीडीआर के प0न0 224/265 मु0 47 किलानं0 21/.228 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है व प्रतिवादीगण के नाम से चकनं0 1 एसआर डबलयू के खाता सं0 64/73 में प0न0 225/266 मु0 5 किलानं0 24,25, प0न0 225/267 मु0 15 किलानं0 4,5 ब0हि0ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की चरण सं0 2 व 3 में वर्णित कृर्षि भूमि एक ही किस्म की है व दोनो चक आपस में चिपते हुए है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य काश्त की सुविधा अनुसार कृर्षि भूमि का आपस में तबादला किया हुआ है। वादपत्र की चरण सं0 2 में वर्णित कृर्षि भूमि जो वादीगण के नाम की है वह तबादला में प्रतिवादीगण को दी हुई है व वादपत्र की चरण सं0 3 में वर्णित कृर्षि भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम है वह कृर्षि भूमि हम वादीगण को मिली हुई है।वादीगण एंव प्रतिवादीगण की कृर्षि भूमि भी एक ही किस्म की है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अपनी कृर्षि भूमि को लेकर अपनी काश्त की सुविधा के अनुसार कृर्षि भूमि काश्त करने के लिए अपनी कृर्षि भूमि का तबादला किया हुआ है तथा तबादला के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण कृर्षि भूमि काश्त करते चले आ रहे है तबादला में वादपत्र कीदफा 4 के अनुसार आराजी प्राप्त हुई है।वाद पत्र की चरणसं0 4 अनुसार ही हम वादीगण कृर्षि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन रोजस्व रिकार्ड में कब्जा व तबादला के अनुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादीगण वादपत्र की दफा 4 के अनुसार आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 4 में दर्ज आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित कृर्षि भूमि एक ही किस्म की है व दोनो चक आपस में चिपते हुए है। हम प्रतिवादीगण व वादीगण द्वारा अपनी काश्त की

सुविधा अनुसार अपनी अपनी कृर्षि भूमि का आपस में तबादला किया हुआ है। वादपत्र की चरण सं0 2 में वर्णित कृर्षि भूमि जो वादीगण के नाम की है वह तबादला में प्रतिवादीगण को दी हुई है व वादपत्र की चरण सं0 3 में वर्णित कृर्षि भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम है वह कृर्षि भूमि हम वादीगण को मिली हुई है।वादीगण एंव प्रतिवादीगण की कृर्षि भूमि भी एक ही किस्म की है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अपनी कृर्षि भूमि को लेकर अपनी काश्त की सुविधा के अनुसार कृर्षि भूमि काश्त करने के लिए अपनी कृर्षि भूमि का तबादला किया हुआ है तथा तबादला के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण कृर्षि भूमि काश्त करते चले आ रहे है।वाद पत्र की दफा 4 अनुसार ही वादीगण व हम प्रतिवादीगण कृर्षि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है। इसलिए वादपत्र की दफा 4 के अनुसार कृर्षि भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन कर वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस मे राजीनामा हो गया है।जबाबदावा के साथ प्रतिवादी द्वारा अपने आइ.डी. की फोटो प्रति पेश की है, जो शामिल मिसल की गई। वादी द्वारा लिखित बटवारानामा व स्टाम्प पर वादी गुरमीतसिह द्वारा अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में खेत पडौसी है।वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा अपनी कृर्षि भूमि का विनिमय किया हुआ है जिसके बाबत वादी द्वारा विनिमयपत्र की फोटो प्रति पेश की, वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा भी वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए सहमति के रुप में अपना जबाबदावा पेश किया है। इसलिए वांदीगण का वाद मुताबिक जबाबदावा सहमति के स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त दस्तावेजों, जमाबन्दीयों, विनिमय पत्र, स्टाम्प, बैयनामा का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी गण के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में खेत पडौसी है। वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि एक ही किस्म की है तथा एक ही चक में स्थित है। वादीगण द्वारा विनिमय पत्र की प्रति पेश की है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तन्कीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताविक जबावदावा स्वीकार किंये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि क.वादीगण संख्या 1 गुरमीतसिह व वादीसं0 2 दर्शनसिह ब0हि0ब0 चकनं0 1 एसआर डबलयू के प0न0 225/266 मु0 5 किलानं0 24,25, प0न0 225/267 मु0 15 किलानं0 4,5, ख.प्रतिवादीगण सं0 1 नरोतमसिह, प्रतिवादीसं0 2 जगदीशसिह को ब0हि0ब0 चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 86/68 के प0न0 224/265 मु0 47 किलानं0 21/.228, चकनं0 12 सीडीआर के प0न0 224/264 मु0 28 किलानं0 15/.089, 16/1/.228, 16/2/.025 है0 खाला, 25/3/.114, 25/4/.012 हे0 खाला, चकनं0 1 एसआर डबलयू के प0न0 225/265 मु0 4 किलानं0 14/1/.139, 17/.160 है0 पूर्वी दिशा, 24/ .001 है0 उतरी–पूर्वी कॉर्नर, 25/.016 उतरी दिशा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 12 सीडीआर के खातासं0 67/86 से जगदीश सिह, परमजीतकौर का नाम कलमजन,चकनं0 12 सीडीआर के खातासं0 272/208 में गुरमीतसिह व दर्शनसिह का नाम कलमजन, चकनं0 1 एस.आर डबल्यू के खाता सं0

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी दिल्ली

237/98 से गुरमीतसिह व दर्शनसिह का हिस्सा कम, चक 1 एस.आर डबल्यू के खाता सं0 64/73 से जगदीशसिह व नरोतमसिह का हिस्सा कम किया जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांगीलाल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 172/2020

1.गुरमीतसिह, 2.दर्शनसिह } पि0 जोगेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी मसरूवाला हाल चक 1 एसआर डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1.नरोतमसिह, 2.जगदीश } पि0 दीदारसिह जाति कम्बोज सिख निवासी 1 एसआर डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि**क**.वादीगण संख्या 1 गुरमीतसिह व वादीसं0 2 दर्शनसिह ब0हि0ब0 चकनं0 1 एसआर डबलयू के प0न0 225/266 मु0 5 किलानं0 24,25, प0न0 225/267 मु0 15 किलानं0 4,5,**ख**.प्रतिवादीगण सं0 1 नरोतमसिह, प्रतिवादीसं0 2 जगदीशसिह को ब0हि0ब0 चकनं0 12 सीडीआर के खाता सं0 86/68 के प0न0 224/265 मु0 47 किलानं0 21/.228, चकनं0 12 सीडीआर के प0न0 224/264 मु0 28 किलानं0 15/.089, 16/1/.228, 16/2/.025 है0 खाला, 25/3/.114, 25/4/.012 हे0 खाला, चकनं0 1 एसआर डबलयू के प0न0 225/265 मु0 4 किलानं0 14/1/.139, 17/.160 है0 पूर्वी दिशा, 24/.001 है0 उतरी–पूर्वी कॉर्नर, 25/.016 उतरी दिशा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 12 सीडीआर के खातासं0 67/86 से जगदीश सिह, परमजीतकौर का नाम कलमजन,चकनं0 12 सीडीआर के खातासं0 272/208 में गुरमीतसिह व दर्शनसिह का नाम कलमजन, चकनं0 1 एस.आर डबल्यू के खाता सं0 237/98 से गुरमीतसिह व दर्शनसिह का हिस्सा कम, चक 1 एस.आर डबल्यू के खाता सं0 64/73 से जगदीशसिह व नरोतमसिह का हिस्सा कम किया जाने के आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

निज....X....निल.....X..मुब्लिक..X...निल.....X...बाबत्.....X.....निल...x.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 08.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी